न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर(राज०)

पीठासीन अधिकारी – श्रीमती रेनू मीना, आर०ए०एस०

राजस्व प्रार्थना पत्र नं० 2/173

तारीख रज्जू 17.12.2020

:उनवानः

01– जितेन्द्रसिंह पुत्र स्व0 श्री प्रताप सिंह राघव, आयु करीब 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी स्कीम नंम्बर 1, आर्य नगर अलवर (राज0)

–प्रार्थी

बनाम

01– नलनीश पुत्र स्व0 श्री नागेन्द्र

02 – यशस्वी पुत्री स्व0 श्री नागेन्द्र

03– श्रीमती बीना नरूका स्त्री स्व0 श्री नागेन्द्र जाति राजपूत निवासी ग्राम धवाला हाल धवाला हाऊस तिलक मार्केट अलवर।

04– रसमीना स्त्री अली मोहम्मद जाति मेव उम्र करीब 37 साल निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर।

05– फरमीना पत्नी शाहजहॉ जाति मेव उम्र 36 वर्ष निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर।

06– मोहम्मद रिहान आयु 12 वर्ष नाबालिग पुत्र रहमत जाति मेव।

07– मोहम्मद आसिफ आयु 10 वर्ष नाबालिग पुत्र रहमत जाति मेव जरिये सरपरस्त माता श्रीमती नफिसा पत्नी रहमत जाति मेव निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर।

08– इकराम पुत्र इजादीन उम्र 25 वर्ष जाति मेव।

09– वसीम खान पुत्र इजादीन उम्र करीब 10 वर्ष नाबालिग।

10– असीम पुत्र इजादीन उम्र 14 वर्ष नाबालिग जरिये सरपरस्त पिता इजादीन जाति मेव निवासी ग्राम माचडी तहसील व जिला अलवर (राज0)

–असल अप्रार्थीगण

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

11– प्रिता राघव पुत्री स्व0 श्री प्रताप सिंह पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत निवासी प्लॉट नं0–36 समवती सागर विहार चौधरी कॉलोनी एसडीएम कोर्ट के पास निवाई जिला टोंक (राज0)

12– मुन्नी देवी पत्नी स्व. श्री प्रहलाद पुत्री भवानी सिंह जाति राजपूत निवासी छाजू सिंह की हवेली, छाजू सिंह की गली अलवर राज0

13– लाड कंवर पुत्री भवानी सिंह पत्नी नवल सिंह जाति राजपूत निवासी 24/35 स्वर्ण पथ मानसरोवर कॉलोनी जयपुर राज0

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

–: निर्णय :–

दिनांक: 16.11.2021

वादी द्वारा दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए प्रस्तुत किया जिसका सूक्ष्य वृत्तान्त इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 7 रकबा 1.6000 है0, खसरा स0 13 रकबा 1.0500है0 व ख0न0 180 रकबा 1.6600है0 कुल किता 03 रकबा 4.3100है0 एवं खसरा नं0 161 रकबा 0.1000है0 वाके वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर जिला अलवर राज० में स्थित है जो आराजी विवादित आराजी है। मिन प्रार्थी ने अपने परिवार का सजरा पैरा सं0 3 में अंकित किया है। उपरोक्त सजरे के मुताबिक बुद्धसिंह के तीन पुत्र थे बुद्धसिंह की आराजी में भवानी सिंह का 1/3 भाग था तथा भवानीसिंह के एक पुत्र स्व0 नागेन्द्र सिंह तथा तीन पुत्रियां मुन्नी देवी, कमल कुमारी, लाड कॅवर तथा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्राथी सं0–11 कमल कुमारी के वारीस है।

भवानी सिंह का स्वर्गवास दिनांक 09.03.1978 को हो गया वक्त स्वर्गवास भवानी सिंह की पत्नी भू देवी पुत्र नागेन्द्र, पुत्री मुन्नी देवी कमल कुमारी, लाड कॅवर जीवित वारिस थे परन्तु अप्रार्थी संख्यां 01 लगा0 03 के पिता स्व0 नागेन्द्र ने पंचायत से मिलकर भवानी सिंह की वीरासत का इन्तकाल केवल स्वयं नागेन्द्र सिंह तथा अन्य वारिसों को छिपाकर इंतकाल संख्या 61 दिनांक 23.11.1978 को अपने नाम करा लिया। जबकि उस कमल कुमारी को जो कि भवानी सिंह की पुत्री

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

जीवित थी उसका 1/5 हिस्सा की वारिस थी हिन्दु उत्तराधिकार की धारा 8 के अनुसार प्रथम श्रेणी की उत्तराधिकारी थी। कमल कुमारी का स्वर्गवास दिनांक 06.08.2016 को हो गया तथा कमल कुमारी के वारिस प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी सं0 11 है। भूदेवी का स्वर्गवास दिनांक 26.04.2000 को हो गया भूदेवी के स्वर्गवास के पश्चात भवानी सिंह 1/3 भाग में से 1/4 भाग का अप्रार्थी सं. 1 लगा0 3 का पति/पिता तथा 1/4 भाग कमल कुमारी तथा 1/4 भाग मुन्नी देवी तथा 1/4 भाग लाडकंवर वारिस थे। इस तरह प्रार्थी की माता भवानीसिंह के हिस्से में 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार है एवं 1/4 भाग अप्रार्थी सं0 1 लगा0 3 का 1/4 भाग लाडकंवर का तथा 1/4 भाग मुन्नी देवी काश्तकार हुई।

इन्तकाल संख्या 61 दिनांक 23.11.1978 प्रार्थी एवं तरतीबी अप्राथीगण का 3/4 हिस्से तक बातिल व बेअसर नाकाबिल पाबन्दी है एवं नागेन्द्र द्वारा स्व0 भवानीसिंह का केवल अकेला वारिस बताकर अपने नाम इन्तकाल दर्ज कराया है व खिलाफ कानून था जबकि नागेन्द्र का 1/4 भाग बनता है। उसके स्वर्गवास दिनांक 18.05.2013 को हो गया जिसका इन्तकाल संख्या 202 दिनांक 22.07.2013 ग्राम पंचायत से मिलकर अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 03 ने अपने नाम करा लिया जो इन्तकाल भी प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण के हक हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर नाकाबिल पाबंदी है अवैध व खिलाफ कानून था व खिलाफ मौका है।

अप्रार्थी संख्यां 01 लगा0 3 ने बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाये विवादित आराजी के संबंध में अन्य आराजीयात जिनमें रूपसिंह के वारिस एवं देवीसिंह के खिलाफ धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद किया जिसमें आराजी ख0नं0 7, 13, 180 व 161 को अपने कब्जेकाश्त में बताकर वाद दायर किया वाद में बंटवारा नहीं मांगा था दिनांक 10.07.2017 को उपराक्त ख0नं0 में अप्रार्थी सं. 01 लगा0 03 को खातेदार घोषित कर दिया। उक्त निर्णय का पता प्रार्थी को चला तो प्रार्थी ने न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां अपील पेश की जो अपील दिनांक 10.10.2019 को निर्णित होकर मातहत अदालत को प्रति प्रेषित की गई जिसमें प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थीगण को पक्षकार माना तथा प्रार्थी के हक हकूको को तथा निर्णय तक स्थिगित रखा दिनांक 10.10.2019 के आदेश के खिलाफ अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 3 ने राजस्व मण्डल में अपील पेश की जो अपील

सहायक कलक्टर
जालोर

Scanned by CamScanner

दिनांक 06.10.2020 को अदम पैरवी में खारिज हो गई। इस अपील को पुनः नम्बर पर लेने की दरख्वास्त राजस्व मण्डल में पेण्डिंग है उसमें कोई स्टे भी नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 3 का विवादित आराजी में केवल 1/4 भाग है परन्तु गलत इन्द्राज के आधार पर हुए इन्द्राज का बेजा फायदा उठाता रहा है। तथा विवादित आराजी के संबंध में न्यायालय में वाद चलते हुए भी खिलाफ कानून हस्तांतरण अधिनियमों के खिलाफ दिनांक 27–11–2020, 03–12–2020 को अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 को खसरा नं0 7 रकबा 1.6000है0 एवं खसरा नं0 13 रकबा 1.0500है0 का बय कर दिया जबकि अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 03 को पूर्ण रकबा बेचान करने का हक हकूक नहीं था जो बयनामा प्रार्थी एवं तरतीबी अप्राथीगण के 3/4 हिस्से तक हक हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर व नाकाबिल पाबन्दी है।

अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 03 द्वारा आराजी खसरा नं0 7 व 13 में केवल 1/4 भाग का ही अधिकार था उपरोक्त आराजी के राजस्व मण्डल में स्वयं ने अपील पेश की दिनांक 19–10–2020 को राजस्व मण्डल में अपील को पुनः नम्बर पर लेने की दरख्वास्त पेश की। फिर भी बयनामें में यह लिखना की विवादित आराजी पर अदालती कार्यवाही विवादष्पद नहीं है। कानून की अवहेलना कर उपरोक्त खसरा नं0 7 में 13 का बयनामा कराया है जो प्रार्थी एवं तरतीबी अप्रार्थी के हक हकूकों के खिलाफ बातिल बेअसर है तथा नाकाबिल पाबन्दी है।

अप्रार्थी संख्या 04 लगा0 10 तक स्टेंजर परसन (अजनबी) की तारीफ में आते है बिना बटवारा कराये खरीदशुदा आराजी में प्रार्थी को उसके हिस्से तक जोतने, बोने में रूकावट मजाहमत ना करे राजस्व रिकार्ड में किसी प्रकार की तब्दीली ना करें तथा राजस्व रिकार्ड यथावत रखें।

प्रार्थना पत्र के निस्तारण में काफी समय लगने की पूर्ण सम्भावना है प्रार्थी ने अपने हिस्से तक असल अप्रार्थीगण से दिनांक 14–12–2020 को उपरोक्त बयनामा बातिल एवं बेअसर कराने तथा प्रार्थी के हिस्से की आराजी को अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी हिस्से अनुसार तकसीम करने का निवेदन किया, लेकिन उन्होने स्पष्ट इन्कार कर दिया और धमकी दी। उक्त वादग्रस्त आराजी से बेदखल करके रहेंगे यदि दौराने दावा प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को जबरन बेदखल कर दिया तो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण तबाह व बर्बाद हो जावेंगे भारी नापूर्ति होने

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

वाली क्षति होगी इसलिए असल अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबन्द किया जाना आवश्यक है।

प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस साबित है। सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है। असल अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेद्याज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वो प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण को आराजी हाल खसरा नं0 7 रकबा 1.6000है0, खसरा नं0 13 रकबा 1.0500है0, 180 रकबा 1.6600है कुल किता 03 रकबा 4.3100है0 वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर जिला अलवर से बेदखल ना करें तथा कुल कार्य काश्तकारी फसल बौने काटने ले जाने आदि में किसी प्रकार की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें तथा आराजी को रहन बय हिबा के मुन्तकिल व मकफूल ना करें बाबत न्यायालय को निवेदन किया है।

वकीलप्रार्थी ने अस्थायी निषेद्याज्ञा हेतु न्यायालय को निवेदन किया वकील प्रार्थी की दिनांक 17.12.2020 को एकपक्षीय बहस सुनकर पत्रावली एवं राजस्व रिकार्ड की नकलातों का अवलोकन करने व वकीलवादी की एकपक्षीय बहस पर गौर करने पर प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का सन्तुलन वादी/प्रार्थी के पक्ष में पाया जाते है। अतः असल प्रतिवादी सं. 1 लगा0 10 को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी हाल खसरा नं0 7 रकबा 1.6000है0, खसरा नं0 13 रकबा 1.0500है0, 180 रकबा 1.6600है0 कुल किता 3 रकबा 4.3100है0 एवं खसरा नं0 161 रकबा 0.1000है0 वाके ग्राम धवाला, तहसील अलवर, जिला अलवर में मौके व रिकार्ड की स्थिति यथावत बनाये रखे।

प्रतिवादीगण/अप्रार्थी की तलबी रजिस्टर्ड डाक ए.डी. कराई गई प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया। क्यों ना उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला दावा (Absolute) कर दिया जावे। यदि कोई आक्षेप हो तो न्यायालय में उपस्थित होकर अपना जवाब पेश करे।

अप्रार्थीगण संख्या 01 लगा0 03 की ओर से श्री नवनीत कुमार तिवाडी एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 04 लगा0 10 की ओर से वकील श्री गणपत सिंह नरूका एड0 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। अप्रार्थी संख्यां 01 लगा0 03 ने अपने जवाब के पैरा संख्या 2 में निवेदन किया है कि आराजी खसरा नं 7, 13, 180 व 161 को बेवजह विवादित बताया

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

है। जो आराजी ग्राम धवाला में स्थित है एवं प्रार्थी द्वारा पेशकर्दा पारिवारिक सजरा गलत होने के कारण अप्रार्थी द्वारा अस्वीकार किया है। जवाब के पैरा संख्या 4 केवल यह स्वीकार है कि भवानी सिंह का स्वर्गवास दिनांक 09.03. 1978 को हो गया है। उनके स्वर्गवास के पश्चात इन्तकाल संख्या 61 व 98 नागेन्द्र सिंह के नाम खोले गये जो दुरूस्त है। यह इन्तकाल भवानीसिंह की पत्नी यानि नागेन्द्र सिंह की माता भूदेवी की सहमति से ही विरासत इन्तकाल नागेन्द्र सिंह के हक में खोले गये। भूदेवी द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त इन्तकालों के बारे में कोई एतराज नहीं उठाया है व तीनों पुत्रियों की भी उक्त इन्तकालों के दर्ज करने में सहमति थी। क्योंकि उनके हिस्से अनुसार नकद राशि के रूप में विभिन्न मौके पर उन्हें राशि प्रदान की गई थी। जिनकी सहमति अपने भाई नागेन्द्र सिंह के हक में अपने पिता के इन्तकाल खुलवाने की रही है। अप्रार्थी संख्या 11 व अप्रार्थी संख्यां 12 के रूप में जिन्हें प्रार्थीगण ने दर्ज किया है उन्हें आज भी किसी प्रकार का इतराज उक्त इन्तकाल व इन्तकाल के जरिये नागेन्द्र सिंह के हिस्से में आई आराजी के बाबत नहीं है।

अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 3 के द्वारा विधिक रूप से धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व वाद पेश किया जाकर खातेदारी प्राप्त की गई है, जिसकी बाबत प्रार्थी को कोई उज्र व एतराज उठाने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी दिनांक 14–12–2020 को मिन अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 से नहीं मिला ना ही कथित वर्णित निवेदन किया गया ना ही करने का प्रश्न उत्पन्न होता है। प्रार्थी विवादित बताई जा रही आराजी से गैरकाबिज गैरवास्ता शख्स है, जिसका कोई लेना देना वादग्रस्त आराजी से नहीं है। प्रार्थना पत्र की खाना पूर्ति के चलते आलोच्य चरण में दिनांक 14–12–2020 का वाका दर्ज किया गया है, जो स्वीकार नहीं है। प्रार्थी किसी भी रूप में अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया केस सुविधा का सन्तुलन एव ंना पूर्ति होने वाली क्षति साबित नहीं है। इस कारण प्रार्थी

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

किसी भी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा सहित खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 की ओर से जवाब पेश किया गया है जिसमें अप्रार्थीगण ने निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी ग्राम धवाला तहसील व जिला अलवर में स्थित है। आराजी किसी प्रकार से विवादित नहीं है। अप्रार्थीगण ने अपने जवाब के पैरा 5 में अंकित किया है कि इन्तकाल संख्या 61 दिनांक 23–11–1978 को चुनौती देते हुए वाद व प्रार्थना पत्र दायर किया है इन्तकाल स्वीकार किये जाने के पश्चात किसी प्रकार की उज्रदारी नहीं की गई है एवं इन्तकाल के विरूद्ध किसी भी सक्षम न्यायालय में कोई अपील पेश नहीं की गई। इन्तकाल संख्या 61 को स्वीकार हुए 42 वर्ष से अधिक समय हो गया है। प्रार्थी की माता व प्रार्थी के द्वारा आजतक उक्त इन्तकाल को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी गई है। इसी प्रकार प्रार्थी द्वारा इन्तकाल संख्या 202 दिनांक 18–05–2013 को 7 साल बाद चुनौती दी जा रही है जिसकी जानकारी प्रार्थी को बेखुबी थी। इन्तकाल संख्या 61 व 202 को प्रार्थी ने नाकाबिल पाबन्दी व बातिल बेअसर होना जाहिर किया है जिसके लिए इन्तकाल के सुनवाई का क्षेत्राधिकार श्रीमान के न्यायालय को नहीं है।

प्रार्थी ने अंकित किया है कि प्रतिवादीगण अजनबी है स्टेन्जर की श्रेणी में आते है जबकि प्रार्थी का यह कहना बिल्कुल असत्य है अप्रार्थीगण अजनबी नहीं है बोनाफाईड पर्चेजर है जरिये बयनामा उक्त आराजी खरीद की गई है खरीद की दिनांक से ही अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। जिस आराजी से प्रार्थी एवं अन्य तरतीबी प्रतिवादीगण का कोई लेना देना नहीं है। जो गैर काबिज गैर वास्ता शख्स है। प्रार्थी किसी भी प्रकार से पाबन्द करने का अधिकारी नहीं है।

प्रार्थी द्वारा मौजुदा प्रार्थना पत्र बाबत इन्तकाल संख्या 61 दिनांक 23.11.1978 व इन्तकाल संख्या 202 दिनांक 18–05–2013 को बातिल व बेअसर करार दिये जाने तथा बयनामा दिनांक 27–11–2020 व बयनामा दिनांक 03–12–2020 को बातिल व बेअसर दिये जाने का अनुतोष चाहा गया है। चूंकि

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

इन्तकाल स्वीकृति आदेशों के विरूद्ध सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय जिला कलक्टर अलवर को प्राप्त है। तथा बयनामा को बातिल व बेअसर करार दिये जाने के सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है। जिन दोनों अनुतोषों को वाद का सुनने का अधिकार न्यायालय श्रीमान को नहीं है।

प्रार्थी ने वारिसान के संबंध में अपने स्वयं को भवानी सिंह व कमल कुमारी का उत्तराधिकारी व वारिस होने का कथन किया है। वारिसान के संबंध में प्रार्थी द्वारा कोई उत्तराधिकार प्रमाण पत्र पेश नहीं किया गया है। प्रार्थी को जिला न्यायाधीश न्यायालय अलवर से उत्तराधिकार प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए था जो प्रार्थी द्वारा पेश नहीं किया गया।

प्रार्थी भवानीसिंह व कमल कुमारी के नक्शे कदम (Foot Steps) पर आया है वादी द्वारा विवादित बताई गई आराजी के भवानी सिंह खातेदार नहीं थे केवल मात्र भवानीसिंह का कब्जा था। प्रार्थी की माता का कोई कब्जा बताई गई वादग्रस्त आराजी पर नहीं था प्रार्थी भवानी सिंह व अपनी माता के नक्शे कदम पर आया है जब भवानीसिंह खातेदार नही था व कमल कुमारी खातेदार नहीं थी तो प्रार्थी किस प्रकार से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कोई कब्जा नहीं है। आराजी खसरा नं0 7 व 13 जो अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 की खरीद शुदा आराजी है। खरीद की दिनांक से ही अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 का कब्जा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा ही उक्त आराजी पर फसल बोई हुई है। प्रार्थी गैर काबिज व गैर वास्ता शख्स है जिसका उक्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है।

प्रार्थी एवं वकील अप्राथीगण के वकीलों की बहस सुनी गई वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं अप्रार्थीगण वकीलों ने भी अपने जवाब के तथ्यों को दोहराया जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते है कि प्रार्थी का वादग्रस्त आराजी में जरिये विरासत अधिकार निहित है एवं प्रार्थी ने अपने अधिकारों की घोषणा हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89, 188 व 53 के तहत न्यायालय में वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है। वकीलवादी ने अप्रार्थीगण को प्रार्थी के कब्जेकाश्त में रूकावट व मजाहमत न

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

करने व रहन बय हिबै द्वारा वादग्रस्त आराजी को बैचान व मुतकिल न करने बाबत न्यायालय को निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 ने अपने जवाब प्रार्थनापत्र को दोहराते हुए न्यायालय को निवेदन किया कि प्रार्थी का उक्त आराजी से कोई किसी प्रकार का सरोकार नहीं प्रार्थी गैरवास्ता, गैरकाबिज शख्स है। प्रार्थी अपने नाना भवानी सिंह व अपनी माता कमल कुमारी नक्शे कदम यह प्रार्थना पत्र लेकर आया है जब भवान्नी सिंह व कमल कुमारी उक्त आराजी के खातेदार ही नहीं थे तो प्रार्थी किस प्रकार से खातेदारी अधिकारी प्राप्त करना चाहता है। वादग्रस्त आराजी का भवानीसिंह केवल मात्र काश्तकार था खातेदार नहीं था। अप्राथीगण ने आराजी खसरा नम्बर 7 व 13 को अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 को जरिये रजिस्टर्ड बयनामा बैचान कर दिया है जिस पर अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 का कब्जा है व काश्त मौके पर इन्हीं के द्वारा बोई हुई है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खारिज करने की प्रार्थना की।

वकील अप्रार्थी संख्या 4 लगा0 10 ने न्यायालय को निवेदन किया है कि प्रार्थी द्वारा विवादित बताई गई आराजी खसरा नम्बरान को आराजी के काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 1 लगा0 3 से विक्रय प्रतिफल अदा कर जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई है एवं खरीद की दिनांक से खरीददारों का उक्त आराजी पर कब्जा है एवं काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी का कोई कब्जा वादग्रस्त बताई गई आराजी पर नहीं है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खारिज करने का निवेदन किया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में दिये गये 1. प्रथम दृष्टया केस 2. सुविधा का सन्तुलन 3. अपूर्णीय क्षति की विवेचन किया जाना आवश्यक है। हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजातों का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

1. **<u>प्रथम दृष्टया केस</u>** :– आराजी हाल खसरा नम्बर 7 रकबा 1.6000 है0, खसरा स0 13 रकबा 1.0500है0 व ख0न0 180 रकबा 1.6600है0 कुल किता 03 रकबा 4.3100है0 एवं खसरा नं0 161 रकबा 0.1000है0

सहायक कलक्टर
झालावाड़

Scanned by CamScanner

वाके वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर जिला अलवर राज० में स्थित है जो आराजी विवादित आराजी है। मिन प्रार्थी ने अपने परिवार का सजरा पैरा सं0 3 में अंकित किया है। उपरोक्त सजरे के मुताबिक बुद्धसिंह के तीन पुत्र थे बुद्धसिंह की आराजी में भवानी सिंह का 1/3 भाग था तथा भवानीसिंह के एक पुत्र स्व0 नागेन्द्र सिंह तथा तीन पुत्रियां मुन्नी देवी, कमल कुमारी, लाड कॅवर तथा प्रार्थी एवं व तरतीबी अप्राथी सं0–11 कमल कुमारी के वारीस है। प्रार्थी इन्तकाल संख्या 61 व इन्तकाल संख्या 202 को आधार बनाकर वाद व प्रार्थना पत्र लेकर न्यायालय में आया है। प्रार्थी का नाना यानी कमल कुमारी के पिता श्री भवानी सिंह वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के खातेदार नहीं थे केवल उनका तो उक्त आराजी पर कब्जा था। जब भवानी सिंह खातेदार नहीं थे तो उनकी पुत्री कमल कुमारी भी खातेदार नही हुई और उसकी मृत्यु के पश्चात प्रार्थी ये वाद व प्रार्थना पत्र लेकर आया है। इन्तकाल संख्या 202 नागेन्द्र सिंह पुत्र भवानी सिंह के वारिसों के नाम दर्ज हुआ है। नागेन्द्र सिंह भी उक्त आराजी का खातेदार नहीं था। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 3 ने एक वाद न्यायालय सहायक कलक्टर अलवर में बउनवान श्रीमती बीना नरूका बनाम भंवर सिंह, मुकदमा नं0 1/35 निर्णय दिनांक 10.07.2017 के द्वारा वादग्रस्त आराजी का अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 खातेदार काश्तकार घोषित किये गये है। इससे पूर्व अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 के पिता नागेन्द्र सिंह व दादा भवानी सिंह उक्त वादग्रस्त आराजी के काबिजदार थे खातेदार नहीं। प्रार्थी के द्वारा आलोच्य प्रार्थना पत्र खातेदारी अधिकारात हासिल करने के लिए पेश किया गया है जिसके लिए यह दर्ज किया जाना आवश्यक है कि पुश्तैनी खातेदारी की आराजी में खातेदारी अधिकारों के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वाद पेश किया जा सकता है परन्तु आलोच्य वाद एवं प्रार्थना पत्र प्रार्थी के द्वारा बिना किसी खातेदारी के पेश किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्तों के आधार पर कोई व्यक्ति अपने जीवनकाल में अपने अधिकारों बाबत कोई क्लेम नहीं करता है तो उसके वारिसान भी ऐसा करने से पाबन्द होंगे वारिसान के द्वारा

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

किसी भी प्रकार का क्लेम नहीं किया जा सकेगा। प्रार्थी अपनी माता कमल कुमारी के नक्शे कदम (Foot Steps) पर आया है। जब कमल कुमारी ही खातेदार नहीं थी एवं उसके पिता भवानी सिंह भी खातेदार नहीं थे तो प्रार्थी किस प्रकार से अप्रार्थियों को पाबन्द कराने का अधिकारी है। जहां तक प्रश्न अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 द्वारा अप्रार्थी संख्या 04 लगा. 10 को जरिये रजिस्टर्ड द्वारा बेचान किया गया है। बेचान उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी संख्या 04 लगा. 10 ने अपने जवाब में अंकित किया है कि वादग्रस्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा खरीद की गई है एवं खरीद के दिनांक से ही काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। प्रार्थी का उक्त आराजी पर कब्जा प्रतीत नहीं होता है। प्रथम दृष्टया केस को प्रार्थी साबित करने में असफल रहा है। अतः यह बिन्दु वादी/प्रार्थी के विरूद्ध अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

2. <u>सुविधा का सन्तुलनः</u>— वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 7 रकबा 1.6000है0 खसरा नं. 13 रकबा 1.0500है0, खसरा नं. 180 रकबा 1.6600है0 कुल किता 3 रकबा 4.3100है0 व खसरा नं. 161 रकबा 0.1000है0 वाके ग्राम धवाला तहसील अलवर में स्थित है। उक्त आराजी के 1/3 भाग के काबिज भवानी सिंह पुत्र बुद्ध सिंह कब्जे दार थे। जिन्हे उनके जीवनकाल में खातेदारी के अधिकारी प्राप्त नहीं हुए। भवानी सिंह के 1 पुत्र नागेन्द्र सिंह व तीन पुत्रियां मुन्नीदेवी, कमल कुमारी व लाड कंवर है। जिनमें से कमल कुमारी का भी स्वर्गवास हो चुका है। वादी/प्रार्थी कमल कुमारी का पुत्र है जो अपने नाना व अपनी मॉ के नक्शे कदम पर अपने हिस्से की आराजी का खातेदारी अधिकार प्राप्त करना चाहता है। जब प्रार्थी का नाना एवं प्रार्थी की माता कमल कुमारी को ही खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं थे तो प्रार्थी खातेदारी का अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। प्रार्थी इन्तकाल संख्या 61 जो भवानी सिंह के विरासत का इन्तकाल है एवं इन्तकाल संख्या 202 नागेन्द्र सिंह का विरासत

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

इन्तकाल है दोनों ही इन्तकालों को आधार बनाकर उक्त वाद/प्रार्थना पत्र में खातेदारी का अधिकार प्राप्त करने का निवेदन कर रहा है। चूंकि प्रार्थी भवानी सिंह व कमल कुमारी के नक्शे कदम पर आया है। जब भवानी सिंह व कमल कुमारी वादग्रस्त आराजी के खातेदार नहीं थे तो प्रार्थी पुश्तैनी सम्पत्ति में किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इन्तकाल संख्या 202 नागेन्द्र सिंह की विरासत का इन्तकाल है नागेन्द्र सिंह भी उक्त आराजी का खातेदार नहीं था अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 ने न्यायायल सहायक कलक्टर अलवर में वाद पेश कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है। खातेदार अपनी उक्त आराजी को बेचने रहन रखने के लिए स्वतन्त्र है। अप्रार्थी संख्या 01 लगा. 03 ने अपनी खातेदारी की आराजी खसरा सं. 7 व 13 का बेचान अप्रार्थी संख्या 04 लगा0 10 को किया है जिस पर खरीददार काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। सुविधा का सन्तुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। जिस कारण यह बिन्दु भी वादी/प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3. **<u>अपूर्णीय क्षतिः—</u>** प्रार्थी वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 7 व 13 जिसके काबिज खातेदार काश्तकार अप्रार्थी संख्या 01 लगा0 03 है जिन्होने न्यायालय में वाद दायर कर खातेदारी अधिकार प्राप्त किये है एवं खातेदारी प्राप्त करने के पश्चात उक्त खसरा नम्बरान का बेचान अप्रार्थी संख्या 04 लगा0 10 को किया है। जिस पर अप्रार्थीगण काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है यदि अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति अप्रार्थीगण को ही होगी। अतः यह बिन्दु भी वादी/प्रार्थी के विरूद्ध एवं अप्रार्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 में प्रथम दृष्टया केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूर्णिय क्षति वादी/प्रार्थी के विरूद्ध

सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner

निर्णित की जा चुकी है। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि दिनांक 17.12.2020 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को Vacate कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 16.11.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद तकमील मूल वाद के साथ संलग्न हो। सुनाया गया।

(रिनू मीना)
सहायक कलक्टर
अलवर

Scanned by CamScanner